

1005

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I.A. NO. 07/2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY BY THE RESPONDENT NO. 7, DIVISIONAL FOREST OFFICER, SHAMLI TO THE INTERVENTION/IMPLEADMENT APPLICATION FILED BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE SECTION 4 AND 20 NOTIFICATIONS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF THE REVENUE RECORDS WHEREIN THE PRESENT IMPLEADERS HAVE ENCROACHED THE FOREST LAND ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICES ISSUED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS	

1006

	ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE H2 CASES IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE JUDGMENT DATED 12.12.1996 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 7
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 08.01.2025

PLACE: NOIDA

1007

Exhibit of NonStamp E
No UP 4122472694084
dated: 8-1-26

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. NO. 7/2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

REPLY BY THE RESPONDENT NO. 7, DIVISIONAL FOREST OFFICER,
SHAMLI TO THE INTERVENTION/IMPLEADMENT APPLICATION
FILED BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Jagdev Singh, aged about 59 years, S/o Shri Late Badri Prasad, Posted as
Divisional Forest Officer, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state

and affirm as under:

That I, Jagdev Singh, am fully conversant with the facts of the case and am

competent and authorized to swear the present Affidavit.



That the present affidavit is being filed in opposition to the Application for

NOTARY

[Handwritten signature]

Intervention/Impleadment filed by the applicants. The said application is misconceived, misleading, legally untenable and liable to be dismissed.

3. That the applicants have deliberately attempted to project a false narrative of absence of notice and denial of hearing, whereas in fact all actions have been taken strictly in accordance with law, after public proclamation (munadi), joint demarcation and issuance of notices granting opportunity of hearing.

4. That it is submitted that the demarcation of the forest land has been carried out by the forest department as per the law and in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal. As stated by the Deponent in previous affidavits filed before the Hon'ble Tribunal, process of demarcation has been duly completed by the forest department on 30.09.2025. It is submitted that the demarcation of the forest land has been carried out in coordination with the revenue department, and the land which covered under the notification of Section 4 and section 20 of the India Forest Act, 1927

A copy of the Section 4 and 20 notifications is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

5. That demarcation and measurement were carried out in all 7 villages after



[Handwritten signature]

due public proclamation (munadi) in the presence of villagers, officials of the Revenue Department and officials of the Forest Department. The entire exercise was transparent, open and participatory. Hence, the plea of ignorance is false and an afterthought.

6. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that as per the revenue records, the Applicants/impleaders have encroached upon the forest land. It is pertinent to note that the land have been transferred to the forest department subsequent to the following of the procedure by the Forest Settlement Officer. The land was transferred to the forest department after no claims/objections were made against the transfer of the land to the forest department.

A copy of the revenue records wherein the present impleaders have encroached the forest land are annexed herewith and marked as ANNEXURE-2.

7. That during demarcation, the forest department has identified the encroachments in the forest land pursuant to which show cause notices under section 72 (1) (B) of the IFA have been issued to the encroachers, encroaching upon the forest land notified under Section 4 of the IFA,



[Handwritten signature]

granting them time to put their arguments/objections/claims and relevant documents before the Deponent.

NOTARY

8. That it is submitted that the Deponent has accordingly issued show cause notices to 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8. Furthermore, it is submitted that the impleader no. 3 & 9's land does not fall within the forest land, therefore, no show cause notice has been issued to the said impleaders.

A copy of the show cause notices issued is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**


NOTARY

That thereafter, upon not getting any sustainable objections/claims from all the encroachers, the Forest Department has registered H2 case against the encroachers.

A copy of the H2 cases is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

10. That the details of impleaders and their status of notice are as follows:

Applicant No.	Name of Applicant	Parent / Spouse Name	Village	Khasra No.	Status / Remarks
1	Mainpal	S/o Sahiram	Barnavi	203'	Notice issued; land identified in Khasra No. 203
2	Mamachand	S/o Prakash	Barnavi	203-	Notice issued; land identified in Khasra No. 203-A
3	Raju	S/o Prakash	Barnavi	—	No notice issued; objection filed only on apprehension of demolition



NOTARY

Applicant No.	Name of Applicant	Parent / Spouse Name	Village	Khasra No.	Status / Remarks
4	Rinku	W/o Vinod	Barnavi	205	Applicant through her brother Sonu; Sonu is the person related to Khasra No. 205
5	Nafedeen	S/o Alijan	Barnavi	198	Notice issued; land identified in Khasra No. 198
6	Mannvar	S/o Sinna	Barnavi	205	Applicant as brother of Hakim Ali; land related to Khasra No. 205
7	Afsar	S/o Alamdeen	Barnavi	204	Notice issued; land identified in Khasra No. 204
8	Sajlaun	S/o Munshi	Barnavi	204	Applicant as brother of Sarik S/o Jikra; land related to Khasra No. 204
9	Mehraj	S/o Hakimu	Barnavi	—	No notice issued; objection filed only on apprehension of demolition

11. That it is submitted before the Hon'ble that ample opportunities have been granted by the forest department to raised objections, however, none of the present applicants have approached the forest department to make the claim.

Therefore, the land in question being the forest land, the forest department is entitled to carry the proceedings forward and carry out the removal of encroachments from the forest land so that it may be remediated in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

12. That it is further pertinent to note that the Hon'ble Supreme Court in *W.P.(Civil) No. 171/96 "T.N. GODAVARMAN THIRUMULKPAD vs UOI & Ors."* vide judgment dated 12.12.1996 has expressly stated "The term "forest land", occurring in Section 2, will not only include "forest" as

2

understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of the ownership."

A copy of the judgment dated 12.12.1996 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-5.

NOTARY

13.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY

14.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY



[Signature]

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 08 day of January, 2028 that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY

[Signature]

DEPONENT

म घोषणा करता हूँ कि मैं... कर्ता को जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर आज मेरे व नोटरी के सामने अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान के साथ है।

ATTESTED

Mukesh Kumar Garg
NOTARY, SHAMLI
Distt. SHAMLI

[Signature]

L.T.I./Signature of Deponent

(Amended) 19
ANNEXURE 1

भाग 1]

उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में
1	2	3	4	5	6

सीमा विवरण

ANNEXURE 1

- 20 मुजफ्फर नगर मुजफ्फर-कौराना वरमादी, 324.0
ब्लॉक नं० 1
- पश्चिम--सरहब ग्राम ताकावाटी।
द्विपक्षी--तीरवारी, भूमिबारी (प्लॉट नं० 43/2, 43/3, 44/2 और 44/3, सम्मिलित नहीं हैं।
उत्तर--सरहब ग्राम मुजफ्फरपुर और अकबरपुर।
- पूर्व--सरहब ग्राम फावाटी खुर्द और प्लॉट नं० 50, 54, 121, 124, 128, 129, 203, 204, 205।
दक्षिण--प्लॉट नं० 128 से 129, 201 से 209, 421, 430, 432, 433, 434 और 435।
पश्चिम--सरहब ग्राम मुजफ्फरपुर।
उत्तर--प्लॉट नं० 235, 202, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 से 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189

क्रम-संख्या	जिला	महलोक	परगना	प्राग	क्षेत्रफल एकड़ों में	तीना-विवरण
१	२	३	४	५	६	७
३२	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	केराना मसकपुर,		१.०	उत्तर--प्लाट नं० ४६। पूर्व--प्लाट नं० ४७। दक्षिण--प्लाट नं० ४४। पश्चिम--प्लाट नं० ४३/२ और ४४।
	"	"	बलाक नं० १३		६६-४०	उत्तर--प्लाट नं० ६१ से ६७ और सरहद ग्राम फयाटी कुर्ब। पूर्व--सरहद ग्राम फयाटी कुर्ब, प्लाट नं० ८९, ८८, ३७९, ३८२, ३८६, ३८७, ३७४, ३४५, ४६५, ४३२, ४३८, ४३२, ४३२, २९२, २९१, २९०, ५००/१-२-३ और ४४०। दक्षिण--सरहद ग्राम हेरी, अकबरपुर मुनहेरी और प्लाट नं० २६८, ५००/१-२-३, ४४६, ४६९, ४६०, ४२३, ४२४, ३४४, ३७३, ३८९ और ३७७। पश्चिम--सरहद ग्राम बरलाबी और अकबर मुनहेरी। उत्तर--प्लाट नं० ४०२ से ४०४, ४१० और सरहद कस्बा केराना। पूर्व--सरहद कस्बा केराना और प्लाट नं० ४६७ से ४६९, ५००, ५०१, ५०३ से ५०४, ५१०, ५१२, ५१४, ५१६ और ५१७। दक्षिण--सरहद ग्राम 'नजीब' और हुंवरपुर। पश्चिम--प्लाट नं० ४१५, ४०३, ४१४, ४१७ से ४१९, ४८८ से ४९०, ५३१, ५७७, ५७९, ६३० से ६३२, ५३३ और ५६०। टिप्पणी--प्लाट नं० ४१२ सम्मिलित नहीं है। उत्तर--प्लाट नं० १००, ९६, ११८ से १२०, २७५, ७८७ और ११२। पूर्व--प्लाट नं० ११२, २३५, २४५ से २४७, २५७ से २५९, २७५, २७६, २७८, ७८७, ७९३, ७९९, ८०१, ८१७, ८१८, ८१९, ८८०, ९७१ और १९७०। दक्षिण--प्लाट नं० १०४०, ९९८ से १०००, ९९९, ९९४, ९९८ से ९७०, ९६५, ९६९, ९६९ और ८८०। पश्चिम--मसूमनबरी। उत्तर--सरहद ग्राम चौताना और प्लाट नं० १८७/१-२-३, १८६, १८३ से १८५। पूर्व--प्लाट नं० ३४२, ३४३, ३३२, ३३१, ३२४, ३१६, ३४१, ५७३, ५६४, ५६२, ३७३। दक्षिण--प्लाट नं० ५७६, ५७४, ५६५, ५६६, ५५४, ५५३, ५५१, ३६२, २३६, २३५, २४४, २३२, १९४, १९५, २२९, २१९, ३९६, ३००, ३१४ और ३१६। पश्चिम--प्लाट नं० १७५, १७८, १४४, १४३ से १४२, १३१, ११६, ११७, ११८/१, ११४, ७४, ७५, ७८, ७९, ८४, ८६, ८८, ८९, ८१ और ९०।
	"	"	रामना,		११२.०	उत्तर--प्लाट नं० ३५७ से ३५९। पूर्व--सरहद ग्राम अलीपुर। दक्षिण--प्लाट नं० ३६५ और ३६६। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।
	"	"	बलाक नं० १		२.०	उत्तर--प्लाट नं० ३७८ और ३५४। पूर्व--प्लाट नं० ३७६ और ३८०। दक्षिण--प्लाट नं० ३८८। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।
	"	"	भेरी		३.०	उत्तर--प्लाट नं० ३५७ से ३५९। पूर्व--सरहद ग्राम अलीपुर। दक्षिण--प्लाट नं० ३६५ और ३६६। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।
	"	"	भेरी		२.०	उत्तर--प्लाट नं० ३७८ और ३५४। पूर्व--प्लाट नं० ३७६ और ३८०। दक्षिण--प्लाट नं० ३८८। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।
	"	"	बलाक नं० ३		३.०	उत्तर--प्लाट नं० ३५७ से ३५९। पूर्व--सरहद ग्राम अलीपुर। दक्षिण--प्लाट नं० ३६५ और ३६६। पश्चिम--प्लाट नं० ३५४।

37

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	ग्रामनाम	घाम	क्षेत्रफल एकड़ों में	सीमा-विवरण
१	२	३	४	५	६	
३९	मुजफ्फरनगर	भोरागा	बिबीगी	रतौन्द, ब्लाक नं० १	५०३०	उत्तर--सरहव घाम देगेरी बुधुर्ग और बीबी गुरजामनपुर। पूर्व--सरहव घाम बीबीपुर जामनपुर और प्लाट नं० ३६१ से ३६४, ३५१, ३५०, ३२६ से ३२९, ५२ से ५४, १०१, १३२ से १४१। दक्षिण--सरहव घाम मनमुरा और प्लाट नं० ५९, ५९, २२६, २२६, २३१, ३५३ से ३५५, ३५९, ३६४, ३६८, २८० से २८२। पश्चिम--सरहव घाम तंग और प्लाट नं० ६६, ७०, ७१, ७८, ७९, ७९, ८३ और ८५ से ८७। टिप्पणी--प्लाट नं० २१, ३८४, ४४०/१ सन्निहित नहीं हैं। उत्तर--प्लाट नं० १००, ११२, १३२, १३४। पूर्व--प्लाट नं० १०८। दक्षिण--प्लाट नं० ११४, १२६, १२८, १४७ और १३७। पश्चिम--प्लाट नं० १३८। उत्तर--प्लाट नं० १४७, १२८, १२९, ११४, १७०, १०७ और १८९। पूर्व--प्लाट नं० १८६, १८७, १७१, १७२, १८३ और १८२। दक्षिण--प्लाट नं० १८०, १७८, १६०, १५७, १५४ और १५५। पश्चिम--प्लाट नं० १४२, १५८ और १५३। उत्तर--प्लाट नं० १६६, १९५ और २००। पूर्व--प्लाट नं० २०२, १६४, १६१, १६०/२ और १९२। दक्षिण--प्लाट नं० २०१, १९४, १८४ और १८६। पश्चिम--प्लाट नं० १८२, १६५, १६६। उत्तर--प्लाट नं० ५१, ५२, ५०। पूर्व--प्लाट नं० १०५। दक्षिण--प्लाट नं० १११, ११०, १०६। पश्चिम--प्लाट नं० १०१। उत्तर--सरहव घाम भेरी। पूर्व--सरहव घाम भेरी। दक्षिण--सरहव घाम भेरी। पश्चिम--सरहव घाम भेरी। उत्तर--प्लाट नं० ४३२, ४१२ और ४२८। पूर्व--सरहव घाम सकोती और प्लाट नं० ४५२। दक्षिण--प्लाट नं० ४२८ और ५०३। पश्चिम--प्लाट नं० ५१०, ४६८, ४९५, ४६४, ४२८ और ५०१। उत्तर--सरहव घाम खोड सभा और प्लाट नं० ११६। पूर्व--सरहव घाम सकोती और प्लाट नं० २१४, २१५। दक्षिण--प्लाट नं० ४२४, ३२८, ४२२ और ३४२। पश्चिम--प्लाट नं० २३८, २३६, १७६, १७८ से १८२, १३०, १३१, १३६ और १३५। उत्तर--प्लाट नं० २७६, २७३, २७२, २७०, २६९, २६८, २६७, २६६, २४३, १७६ और २५०। पूर्व--प्लाट नं० ४०३, ४०४, ३४६, ३४८, २४३। दक्षिण--प्लाट नं० ४०८, ४३७, ४३८ से ४५०, ४६४ और ३६८। पश्चिम--प्लाट नं० ३६५, ३६६, ३७८, ३७९, ३८१, ३८२ और ४६०।
४०	"	मुजफ्फरनगर	"	रतौन्द, ब्लाक नं० २	६०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ३	६०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ४	३०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ५	७०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० १	५२०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० २	२३०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ३	५४०	
"	"	"	"	रतौन्द, ब्लाक नं० ४	२७८४	

वन सीमा बद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लॉक वीवीपुर जलालाबाद ब्लॉक नं० १

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	ग्रंगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	ग्रंगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण		ग्रंगले स्तम्भ की नापी गयी अनुमानित दूरी (जरीबों में)	ग्रंगले स्तम्भ त्रुटि की सीमा की दणा	विशेष विवरण
			प्रथिम	पार्श्व			

१	सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती स्तम्भ से आरम्भ किया है जोकि ग्राम अलाउद्दीनपुर, खेड़ी जनारदर तथा वीवीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है						
१	ग्राम वीवीपुर जलालाबाद तथा खेड़ी जनारदर की सीमा पर स्थित है	उ०प०प०	३००.००	१२०.००	५.००	सीधी लाइन	
२	"	"	३००.००	१२०.००	६.७५	"	
३	"	"	२७१.३०	६१.३०	७.७५	"	
४	"	"	२८८.३०	१०८.३०	६.७५	"	
५	"	"	२८८.३०	१०८.३०	६.७५	"	
६	"	द०प०प०	२६६.००	८६.००	६.००	"	
७	"	उ०प०प०	२८०.३०	१००.३०	७.००	"	
८	"	"	२७२.००	६२.००	१३.००	"	
९	ग्राम दमेड़ी बुजुर्ग, जनारदर तथा वीवीपुर जलालाबाद का सीमा पर स्थित है। यहाँ बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है	द०प०द०	२१३.३०	३३.३०	५.००	"	
१०	ग्राम दमेड़ी बुजुर्ग तथा वीवीपुर जलालाबाद का सीमा पर स्थित है	द०प०द०	२१३.३०	३३.३०	५.००	"	
११	"	"	२१३.३०	३३.३०	४.५०	"	
१२	"	"	२१७.३०	३७.३०	५.००	"	
१३	"	"	२१३.३०	३३.३०	४.५०	"	
१४	"	"	२१४.३०	३४.३०	५.००	"	
१५	"	"	२०२.००	२२.००	४.२५	"	
१६	"	"	१६७.३०	१७.३०	६.७५	"	
१७	ग्राम दमेड़ी बुजुर्ग, रतोद तथा वीवीपुर जलालाबाद का सीमा पर स्थित है यही बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है	द०प०प०	१२६.००	३०६.००	४.५०	"	
१८	ग्राम वीवीपुर जलालाबाद तथा रतोद की सीमा पर स्थित है	द०प०प०	१२६.००	३०६.००	५.००	"	
१९	"	"	१२६.००	३०६.००	४.७५	"	
२०	"	द०प०द०	२०३.००	२३.००	१.२०	"	
२१	"	द०प०प०	१२५.००	३०५.००	६.००	"	
२२	"	द०प०द०	१३८.००	३१८.००	३.६०	"	
२३	"	"	१५१.००	३३१.००	५.६०	"	
२४	"	"	१५७.३०	३३७.३०	५.००	"	
२५	"	"	१५७.३०	३३७.३०	५.२५	"	
२६	"	द०प०प०	६०.००	३४०.००	६.२०	"	
२७	"	द०प०प०	१४०.००	३२०.००	६.००	"	
२८	खमगा जाट नं० २०० व २१० का मेड पर स्थित है	द०प०द०	१४०.००	३२०.००	६.००	"	

२६	ख० प्लॉट नं० १०८ व २१० की मेड़ पर स्थित है	उ०प०प०	२१६.००	३६.००	४.३०	गीर्षी खाजन
२७	ख० प्लॉट नं० २१४ में स्थित है	उ०प०प०	२८७.००	१०७.००	५.६०	"
२८	ग्राम बीबीपुर जलालाबाद व रनोद की सीमा पर स्थित है	उ०प०प०	१६७.००	१७.००	८.५०	"
२९	"	उ०प०प०	१५८.००	३३८.००	८.१०	"
३०	"	उ०प०प०	१५८.००	३३८.००	४.५०	"
३१	"	उ०प०प०	१०१.००	२८१.००	७.६०	"
३२	ख० प्लॉट नं० २२१, २२२, २२४ व २२५ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	५२.००	२३२.००	६.००	"
३३	ख० प्लॉट नं० २२०, २२१, २२२ व २३६ के कोने पर स्थित है	"	५३.००	२३३.००	१.७५	"
३४	ख० प्लॉट २२०, २३६, २४० के कोने पर स्थित है	"	५६.००	२३६.००	२.७५	"
३५	ख० प्लॉट नं० २१६, २२०, २४० के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	१४७.००	३२७.००	१.००	"
३६	ख० प्लॉट नं० २१६, २४० व २४७ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	४६.३०	२२६.३०	३.००	"
४०	ख० प्लॉट नं० २१६, २४७ व २४८ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	४६.३०	२२६.३०	३.७०	"
४१	ख० प्लॉट नं० २१६, २५१ व २५३ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३१८.००	१३८.००	२.५०	"
४२	ख० प्लॉट नं० २१६, २५३ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३४.३०	२१४.३०	३.६०	"
४३	ख० प्लॉट नं० २१६, २५३ व २५५ के कोने पर स्थित है	"	२५.३०	२७५.३०	४.३०	"
४४	ख० प्लॉट नं० २६२ व २६३ की मेड़ पर स्थित है	उ०प०प०	३००.००	१२०.००	६.००	"
४५	ख० प्लॉट नं० २६२ व २६३ की मेड़ पर स्थित है	"	३००.००	१२०.००	७.१०	"
४६	ख० प्लॉट नं० २१७, २०८ व १६४ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	४१.००	२२१.००	१.५०	"
४७	ख० प्लॉट नं० २१७, १६३ व १६४ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३१२.००	१३२.००	६.४०	"
४८	ख० प्लॉट नं० १६५, २०६ व २०८ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३२१.००	१४१.००	५.००	"
४९	ख० प्लॉट नं० २०७, २०८ की मेड़ पर स्थित है	"	३२१.००	१४१.००	६.३०	"
५०	ख० प्लॉट नं० ८७, २०७ व २०८ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	४०.००	२२०.००	१.६५	"
५१	ख० प्लॉट नं० ८७, २०३, २०५ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३३६.००	१५६.००	३.८५	"
५२	ख० प्लॉट नं० ८७ व ८८ के कोने पर स्थित है	"	३५८.००	१७८.००	४.५०	"
५३	प्लॉट नं० ८७, ८६ व ६० के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	०.७०	"
५४	ख० प्लॉट नं० ८७ व ६० के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	१०.००	१६०.००	६.७५	"
५५	ख० प्लॉट नं० ६३ व ६७ की मेड़ पर स्थित है	उ०प०प०	३३.००	२१३.००	३.३०	"
५६	ख० प्लॉट नं० ६३, ६८ व १०१ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	३१३.३०	१३३.३०	२.००	"
५७	ख० प्लॉट नं० ८३, ६३ व १०१ के कोने पर स्थित है	उ०प०प०	४२.००	२२२.००	३.३०	"

क्र	विवरण	१	२	३	४
५८	ख० प्लॉट नं० ८३, १०१ व १०२ के उ०पू०पू० कोने पर स्थित है	४६.००	२२६.००	३.४०	सीधी लाइन
५९	ख० प्लॉट नं० ५५, ८३ व १०२ के उ०पू०उ० कोने पर स्थित है	३३०.००	१५०.००	१.००	"
६०	ख० प्लॉट नं० ५५, ५६, ८१ व ८३ के कोने पर स्थित है	२३५.००	५५.००	३.००	"
६१	ख० प्लॉट नं० ८२, ८३ व ८४ के कोने पर स्थित है	२३८.००	५८.००	८.५०	"
६२	ख० प्लॉट नं० ८३, ८४, ८५ व ८६ के कोने पर स्थित है	३२०.३०	१४०.३०	१.४०	"
६३	ख० प्लॉट नं० ७६, ८४ व ८५ के कोने पर स्थित है	५६.३०	२३६.३०	६.५०	"
६४	ख० प्लॉट नं० ७६, ८२ व ८४ के कोने पर स्थित है	६.३०	१८६.३०	२.६०	"
६५	ख० प्लॉट नं० ५६, ७६ की मेड़ पर स्थित है	३०४.००	१२४.००	६.००	"
६६	ख० प्लॉट नं० ६०, ७६ की मेड़ पर स्थित है	३३०.००	१५०.००	५.५०	"
६७	ख० प्लॉट नं० ६१ व ७२ की मेड़ पर स्थित है	१२.००	१६२.००	४.००	"
६८	ख० प्लॉट नं० ६२, ६४, ७१ व ७२ के कोने पर स्थित है	३५.००	२१५.००	४.००	"
६९	ख० प्लॉट नं० ६५, ६६ तथा ७१ के कोने पर स्थित है	२२.००	२०२.००	४.२०	"
७०	ख० प्लॉट नं० ४, ७० व ७१ के कोने पर स्थित है	२६२.००	११२.००	२.००	"
७१	ख० प्लॉट नं० २, ४, व ७१ के कोने पर स्थित है	१२.३०	१६२.३०	२.६०	"
७२	ख० प्लॉट नं० २, ३ व ४ के कोने पर स्थित है	१०७.००	२८७.००	१.५०	"
७३	ख० प्लॉट नं० ३, ४, ५ व ६ के कोने पर स्थित है	६.००	१८६.००	५.४०	"
७४	ख० प्लॉट नं० ३, ८ व ६ के कोने पर स्थित है	११४.००	२६४.००	०.७०	"
७५	ख० प्लॉट नं० ८ व ९ के कोने पर स्थित है	१८१.००	१.००	५.४०	"
७६	ख० प्लॉट नं० ५, ६ व ९ के कोने पर स्थित है	१०७.३०	२८७.३०	२.५०	"
७७	ख० प्लॉट नं० ४, ९ व १० के कोने पर स्थित है	२००.००	३००.००	३.३०	"
७८	ख० प्लॉट नं० ४, १० व ११ के कोने पर स्थित है	२९२.००	११२.००	०.८०	"
७९	ख० प्लॉट नं० ४, ११ व ६९ के कोने पर स्थित है	२१०.३०	३०.३०	४.६०	"
८०	ख० प्लॉट नं० ११, ६३ व ६६ के कोने पर स्थित है	२१६.३०	३६.३०	२.००	"
८१	ख० प्लॉट नं० ६३, ६४ व ६५ के कोने पर स्थित है	१३३.३०	३१३.३०	४.००	"
८२	ख० प्लॉट नं० ६३ में स्थित है	१३३.३०	३१३.३०	५.८०	"
८३	ख० प्लॉट नं० ६३ में स्थित है	२०५.००	२५.००	२.००	"
८४	"	१३८.००	३१८.००	५.५०	"
८५	ख० प्लॉट नं० ५२, ५३ व १०५ के कोने पर स्थित है	३२.००	२१२.००	४.५०	"
८६	ख० प्लॉट नं० ४६, ५१ व १०७ के कोने पर स्थित है	३२.००	२१२.००	४.६०	"

1020

क्र.	विवरण	२	३	४	५	६	७	८
८७	ख० प्लॉट नं० ४६, ४७ व ४८ के कोने पर स्थित है	उ० पू० उ०	१.००	१८५.००	३.५०	मीथी लाइन		
८८	ख० प्लॉट नं० ४८ व ५१ के कोने पर स्थित है	उ० पू० पू०	८२.००	२६२.००	१.००	"		
८९	ख० प्लॉट नं० ४८, ५० व ५१ के कोने पर स्थित है	उ० पू० उ०	२२.००	२०२.००	५.५०	"		
९०	ख० प्लॉट नं० ४० व ४९ की मेड़ पर है	द० पू० पू०	१०९.३०	२८९.३०	४.४०	"		
९१	ख० प्लॉट नं० ४० व ४३ की मेड़ पर है	द० पू० पू०	११५.००	२९५.००	२.५०	"		
९२	ख० प्लॉट नं० ४० व ४३ के कोने पर स्थित है	द० प० द०	१९६.००	१६.००	४.००	"		
९३	ख० प्लॉट नं० ४०, ४१ व ४२ के कोने पर स्थित है	द० पू० पू०	९२.३०	२७२.३०	२.९०	"		
९४	ख० प्लॉट नं० ३७, ४० व ४१ के कोने पर स्थित है	उ० पू० पू०	४९.३०	२२९.३०	४.५०	"		
९५	ख० प्लॉट नं० ३९ व ४० की मेड़ पर है	द० पू० पू०	१२३.००	३०३.००	४.७०	"		
९६	ख० प्लॉट नं० २४ व ३९ की मेड़ पर है	द० प० द०	२१३.००	३३.००	१.२०	"		
९७	ख० प्लॉट नं० २४, ३३ व ३९ के कोने पर स्थित है	द० प० प०	१३१.००	३११.००	५.००	"		
९८	ख० प्लॉट नं० २४ में स्थित है	द० प० द०	२०९.००	२९.००	२.७०	"		
९९	ख० प्लॉट नं० २४, ३१ की मेड़ पर स्थित है	द० पू० पू०	११९.००	२९९.००	६.४०	"		
१००	ख० प्लॉट नं० २४, २५ व २१७ के कोने पर स्थित है	उ० पू० उ०	२८.३०	२०८.३०	८.१०	"		
१०१	ख० प्लॉट नं० २३, २४ व २१७ के कोने पर स्थित है	उ० पू० उ०	२७.००	२०७.००	८.००	"		
१०२से१	ख० प्लॉट नं० २३ व २१७ की मेड़ पर स्थित है	उ० पू० उ०	२७.००	२०७.००	८.००	"	चक बन्दहुया।	

सीमा वर्णन

वन सीमा बद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लॉक बीबीपुर जलालाबाद ब्लॉक नं० २

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकी कोण		अगले स्तम्भ की नापी गयी अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दशा	विशेष विवरण
		अग्रिम	पार्श्व	अनुमानित दूरी	सीमा की दशा		
१	२	३	४	५	६	७	८
	सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती स्तम्भ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द, अशरफपुर तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है						
१	ग्राम बीबीपुर जलालाबाद तथा अशरफपुर की सीमा पर स्थित है	उ० प० प०	२८५.००	१०५.००	५.६०	सीधी लाइन	
२	"	उ० प० प०	२७६.००	९६.००	५.८०	"	
३	"	उ० प० प०	२७६.००	९६.००	६.००	"	
४	"	उ० प० प०	२९०.००	११०.००	४.५०	"	
५	ग्राम अशरफपुर, रतौद तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा स्थित है यही बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है	उ० प० उ०	३५५.००	१७५.००	४.७०	"	
६	ग्राम रतौद तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है	उ० प० उ०	३५५.००	१७५.००	४.००	"	
७	"	उ० प० उ०	३०.००	२१०.००	२.७०	"	
८	ख० प्लॉट नं० २२६ व २२७ की मेड़ पर स्थित है	द० पू० पू०	११८.००	२६८.००	४.००	"	

1023

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम/गम ब्लॉक पावटों/खुद

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित पृथकीय कोण		अगले स्तम्भ की गती गई अनुमानित दूरी (ज रीचों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दूरी	विषय विवरण
			अग्रिम	पार्श्व			

ब्लॉक नं० १

१	ग्राम पावटों खुद, ग्राम अशरफपुर तथा बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है। यही बन्दोबस्ती स्तम्भ भी है, जिससे सीमांकन कार्य आरम्भ किया गया	उ०पू०पू०	८३.००	२६३.००	१.००	सीधी लाइन	
२	ग्राम पावटों खुद तथा ग्राम बीबीपुर जलालाबाद की सीमा पर स्थित है	द०पू०द०	१७७.००	३५७.००	४.००	"	
३	ग्राम पावटों खुद के ख० प्लॉट नं० २, १४ व १५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	८४.००	२६४.००	६.४०	"	
४	" ख० प्लॉट नं० १२, १४ व १५ के कोने पर है	द०पू०द०	२२०.००	४०.००	८.५०	"	
५	" ख० प्लॉट नं० ५, १३ व १४ के कोने पर है	उ०पू०पू०	२८६.००	१०६.००	३.७५	"	
६	" ख० प्लॉट नं० ३, ४ व १४ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२७.००	१४७.००	६.००	"	
७	" ख० प्लॉट नं० १, २ व ३ के कोने पर है	द०पू०पू०	२३०.००	५०.००	५.६०	"	
८	" ख० प्लॉट नं० १, ३ व ५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	३०१.००	१२१.००	७.००	"	
	ग्राम पावटों खुद व ग्राम अशरफपुर की सीमा पर है	उ०पू०उ०	४०.००	२२०.००	२.००	"	
१०	"	द०पू०पू०	१०१.००	२८१.००	८.८०	"	
११ से १	"	उ०पू०उ०	४२.००	२२२.००	३.३०	"	चर्क बन्द हुआ

ब्लॉक नं० २

०	सीमांकन कार्य बन्दोबस्ती स्तम्भ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटों खुद, ग्राम अशरफपुर व ग्राम बरलावी की सीमा पर स्थित है	उ०पू०उ०	२८.००	२०८.००	११.५०	सीधी लाइन	
१	ग्राम पावटों खुद व ग्राम अशरफपुर की सीमा पर स्थित है	उ०पू०उ०	४१.००	२२१.००	३.००	"	
२	"	उ०पू०पू०	७२.३०	२५२.३०	५.६०	"	
३	"	द०पू०द०	१४३.३०	३२३.३०	५.६०	"	
४	ग्राम पावटों खुद के ख० प्लॉट नं० १४३, १४४ व १६१ के कोने पर है	द०पू०द०	१३६.००	३१६.००	६.००	"	
५	" ख० प्लॉट नं० १४५, १४६ व १६० के कोने पर है	उ०पू०पू०	५४.००	२३४.००	०.६०	"	
६	" ख० प्लॉट नं० १४५, १३६ व १४६ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३३६.००	१५६.००	१.१०	"	
७	" ख० प्लॉट नं० १३६, १३७ व १४५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	४७.३०	२२७.३०	४.५०	"	
८	" ख० प्लॉट नं० १३६ व १३७ की मेड़ पर है	उ०पू०पू०	४७.३०	२२७.३०	५.००	"	
९	" ख० प्लॉट नं० ५६, ६३, १३६ व १३७ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२६.३०	३०६.३०	५.१०	"	
१०	" ख० प्लॉट नं० ६३, ६४ व १३६ के कोने पर है	उ०पू०पू०	५८.००	२३८.००	५.३०	"	

११	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ६२ व ६४ की मंजू पर है	उ०पू०पू०	५५.००	२३५.००	५.००	सीपी लाइन
१२	" ख० प्लॉट नं० ५६, ५७, ६२ व ६४ के कोने पर है	द०पू०द०	१५१.००	३३१.००	५.००	"
१३	" ख० प्लॉट नं० ५६, ६४ व ६६ के कोने पर है	प०	२७०.००	६०.००	१.३०	"
१४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ६४ व ६९ के कोने पर है	द०प०द०	१८७.३०	७.३०	१.४०	"
१५	" ख० प्लॉट नं० ६४, ६७ व ६९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२३.००	१४३.००	१.४०	"
१६	" ख० प्लॉट नं० ६४ व ६७ के कोने पर है	द०प०प०	२४८.००	६८.००	१.५०	"
१७	" ख० प्लॉट नं० ६४, ६५ व ६७ के कोने पर है	द०पू०द०	१५५.००	३३५.००	१.५०	"
१८	" ख० प्लॉट नं० ६५, ६६ व ६७ के कोने पर है	द०प०द०	२०१.००	२१.००	५.००	"
१९	" ख० प्लॉट नं० ६५, ६६ व १३२ के कोने पर है	द०पू०पू०	११८.००	२९८.००	३.१८	"
२०	" ख० प्लॉट नं० ६६, ७० व १३२ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३७.००	२१७.००	४.६०	"
२१	" ख० प्लॉट नं० ६६, ६८ व ७० के कोने पर है	उ०पू०उ०	४०.००	२२०.००	४.४०	"
२२	" ख० प्लॉट नं० ५६, ६९ व ७० के कोने पर है	द०पू०पू०	१०२.३०	२८२.३०	७.००	"
२३	" ख० प्लॉट नं० ७०, ७२ व ७३ के कोने पर है	द०प०द०	१८२.३०	२.३०	३.३८	"
२४	" ख० प्लॉट नं० ७०, ७१ व ८७ के कोने पर है	द०पू०पू०	९२.३०	२७२.३०	२.२५	"
२५	" ख० प्लॉट नं० ७७, व ८७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२४.००	२०४.००	२.६०	"
२६	"	उ०पू०पू०	८७.००	२६७.००	७.४०	"
२७	" ख० नं० प्लॉट ७८, ८६ व ८७ के कोने पर है	द०पू०पू०	९३.००	२७३.००	१०.००	"
२८	" ख० प्लॉट नं० ७९, ८० व ८६ के कोने पर है	द०पू०पू०	११६.००	२९६.००	४.५०	"
२९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ८१ व ८२ की मंजू पर है	द०पू०पू०	९१.००	२७१.००	२.१०	"
३०	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१७५.००	३५५.००	६.६०	"
३१	"	द०पू०पू०	१७४.००	३५४.००	८.००	"
३२	"	द०प०द०	१९४.३०	१४.३०	४.००	"
३३	" ख० प्लॉट नं० ९२ व ९३ के कोने पर है	उ०प०प०	३०७.००	१२७.००	३.२०	"
३४	"	उ०प०प०	३०५.००	१२५.००	०.९०	"
३५	"	द०प०द०	२१८.००	३८.००	२.४०	"
३६	" ख० प्लॉट नं० ९१, ९२ व ९३ तथा १०८ के कोने पर है	द०प०द०	१८३.००	३.००	२.१०	"
३७	" ख० प्लॉट नं० ९३ व १०८ की मंजू पर है	द०पू०द०	१७८.००	३५८.००	३.००	"
३८	" ख० प्लॉट नं० ९३ व १०८ की मंजू पर है	द०प०द०	१९१.००	११.००	१.५०	"
३९	" ख० प्लॉट नं० ९३ व १०८ के कोने पर है	उ०प०प०	२८३.००	१७३.००	१.३०	"
४०	"	द०प०प०	२४६.००	६६.००	०.७०	"
४१	"	द०प०द०	२१४.००	३४.००	२.५०	"

क्र	विवरण	उ०प०उ०	३०९.००	१२९.००	१.२५	सीधी लाइन
४२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ९३ व १०८ व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३०९.००	१२९.००	१.२५	सीधी लाइन
४३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०८ व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	२२.००	२०२.००	२.८०	"
४४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०८ व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३५९.००	१७९.००	२.१५	"
४५	"	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	०.८२	"
४६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ९० व १०९ की मेंड पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	१.२०	"
४७	"	द०प०प०	२६६.००	८६.००	२.००	"
४८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ९० व १०९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३४३.००	१६३.००	३.००	"
४९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ९० के कोने पर है	द०प०द०	२०४.३०	२४.३०	२.७५	"
५०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ११४ के कोने पर है	उ०प०प०	२९७.००	११७.००	१.००	"
५१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ११४ के कोने पर है	उ०प०उ०	३.००	१८३.००	४.००	"
५२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८९ व ११४ के कोने पर है	उ०प०प०	२८६.३०	१०६.३०	३.००	"
५३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८८, ८९ व ११९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३३७.००	१५७.००	१.७०	"
५४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७, ८८ व ८९ के कोने पर है	द०प०द०	२१२.००	३२.००	४.५०	"
५५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७, ८८ व ११९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३३५.३०	१५५.३०	१.६०	"
५६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७, ११९ व १२० के कोने पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	५.००	"
५७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ८७ व १२० की मेंड पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	५.००	"
५८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ७०, ८७ व १२२ के कोने पर है	द०प०द०	१९१.३०	११.३०	३.४०	"
५९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९, १३२ के कोने पर है	उ०प०प०	२८५.००	१०५.००	२.४०	"
६०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९ की मेंड पर है	द०प०प०	२३३.००	५३.००	४.८०	"
६१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८ व १२९ की मेंड पर है	द०प०द०	२१४.००	३४.००	४.२५	"
६२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९ के कोने पर है	उ०प०प०	३०५.३०	१२५.३०	१.४०	"
६३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १२८, १२९ व १३० के कोने पर है	द०प०द०	२१८.००	३८.००	५.३०	"
६४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १३१ व २५० के कोने पर है	द०प०द०	२००.३०	२०.३०	५.००	"
६५	"	उ०प०प०	२६३.००	८३.००	५.५५	"
६६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १३१, २१२ व २५० के कोने पर है	उ०प०प०	३११.००	१३१.००	७.००	"

	३	४	५	६	७	८
	उ०पू०उ०	४०.००	५०.००	४.७०		सीधी लाइन
६७ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १३१, १५१ व २१२ के कोने पर है	उ०प०प०	२८४.००	१०४.००	१.००		"
६८ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १३१, १५१ व १५० के कोने पर है	उ०प०प०	३०७.००	१२७.००	५.९०		"
६९ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १५०, १५१ व १५२ के कोने पर है	उ०पू०पू०	१.००	१८१.००	३.८०		"
७० ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १५१, १५२, १५३ के कोने पर है	उ०प०उ०	३५७.००	१७७.००	५.००		"
७१ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १५२, १५७ व १५८ के कोने पर है	द०प०प०	२६९.३०	८९.३०	३.१०		"
७२ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १४६, १४७ व १५८ के कोने पर है	द०पू०द०	१६७.००	३४७.००	२.७५		"
७३ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १५९, १६० व १६२ के कोने पर है	पश्चिम	२७०.००	९०.००	१.००		"
७४ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १५९, १६२ व १६५ के कोने पर है	उ०प०उ०	३४९.००	१६९.००	२.५०		"
७५ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १६२, १६४, १६५ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२५.००	१४५.००	४.७५		"
७६ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १६२ व १६४ के कोने पर है	द०प०द०	२१८.००	३८.००	१.५०		"
७७ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १६२, १६३ व १६४ के कोने पर है	उ०प०प०	३१२.००	१३२.००	३.७५		"
७८ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १६३, १६४ व १७९ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	४.७५		"
७९ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १६३, १८१ व १८२ के कोने पर है	उ०प०प०	३१३.००	१३३.००	५.३०		"
८० से १ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १६३, १८२ व १८४ के कोने पर है						चक बन्द हुआ।

ब्लॉक नम्बर ३

० सीमांकन कार्य ब्लॉक नं० २ के पिलर नं० ६७ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १३१, १५१ व २१२ के कोने पर है	द०प०द०	२२४.००	४४.००	५.१०		सीधी लाइन
१ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० २१४, २१५, २४६ व २४७ के कोने पर है	उ०प०प०	३१०.००	१३०.००	३.००		"
२ ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० २१५, २१८ व २२० के कोने पर है	उ०पू०पू०	५४.००	२३४.००	४.५०		"

3	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 214, 215 व 216 के कोने पर है	द० पू० पू०	120.00	300.00	2.30	सीधी लाइन
4 से 1	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 214, 215 व 216 के कोने पर है	द० प० प०	220.30	400.30	4.40	चक बन्द हुआ।
ब्लाक नं० 4						
•	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० 2 के पिलर नं० 66 से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 131, 212 व 250 के कोने पर है	द० प० द०	213.00	330.00	4.30	सीधी लाइन
1	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 213, 245 व 250 के कोने पर है	द० प० द०	215.00	350.00	7.00	"
2	ख० प्लॉट नं० 245 व 250 के कोने पर है	द० पू० पू०	111.30	251.30	1.00	"
3	ख० प्लॉट नं० 245, 245 व 250 के कोने पर है	द० प० द०	213.00	330.00	1.50	"
4	ख० प्लॉट नं० 245 व 245 के कोने पर है	उ० प० प०	275.00	550.00	1.50	"
5	"	द० प० द०	206.30	260.30	1.00	"
6	"	द० पू० पू०	56.00	276.00	2.00	"
7	ख० प्लॉट नं० 245, 245 व 250 के कोने पर है	द० प० प०	233.00	430.00	3.00	"
8	ख० प्लॉट नं० 243, 247 व 245 के कोने पर है	उ० पू० उ०	3.00	153.00	10.60	"
8 से 1	ख० प्लॉट नं० 214, 247 व 245 के कोने पर है	द० पू० पू०	56.00	276.00	6.40	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० 5

•	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० 2 के डिमारकेशन पिलर नं० 55 से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 570 व 115 के कोने पर है	द० प० द०	205.00	250.00	6.60	सीधी लाइन
1	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 116, 117, 123 व 124 के कोने पर है	द० पू० पू०	132.00	312.00	3.00	"
2	ख० प्लॉट नं० 116, 124 व 313 के कोने पर है	द० प० प०	235.00	450.00	4.00	"
3	ख० प्लॉट नं० 305 व 305 की मेंड पर है	उ० प० प०	253.00	113.00	6.00	"
4 से 1	ख० प्लॉट नं० 126, 124 व 276 के कोने पर है	उ० पू० पू०	74.00	244.00	7.50	चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० 6

•	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० 2 के डिमारकेशन पिलर नं० 45 से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० 50 व 105 के कोने पर है	द० प० प०	230.00	400.00	1.00	सीधी लाइन
---	---	----------	--------	--------	------	-----------

प्लॉट नं० ११३, दंपुं०	६३.००	२७३.००	१.७५	सीधी लाइन
प्लॉट नं० ११४, दंपुं०	६२.००	२६२.००	१.००	"
प्लॉट नं० ११५, दंपुं०	१६१.००	३४१.००	१.६१	"
प्लॉट नं० ११६, दंपुं०	२०३.३०	२३.३०	३.४०	"
प्लॉट नं० ११७, दंपुं०	२३१.००	५१.००	१.३०	"
प्लॉट नं० ११८, दंपुं०	३१२.३०	१३२.३०	२.६०	"
प्लॉट नं० ११९, दंपुं०	४३.००	२२३.००	०.४५	"
प्लॉट नं० १२०, दंपुं०	३२०.००	१४०.००	२.५०	"
प्लॉट नं० १२१, दंपुं०	५०.००	२३०.००	२.२५	"

चक्र बन्द हुआ।

प्लॉट नं० ७

प्लॉट नं० २ के पिलर स्म किया जो पी खुर्द व ग्राम सीमा पर है	दंपुं०	१२१.३०	३११.३०	१.४०	सीधी लाइन
प्लॉट नं० ३ के ख० प्लॉट नं० १०४ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	१३७.००	३१७.००	१.६०	"
प्लॉट नं० ४ के ख० प्लॉट नं० १०४ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	१६०.००	१०.००	४.००	"
प्लॉट नं० ५ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	२०५.३०	२५.३०	७.१०	"
प्लॉट नं० ६ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	१६७.००	१७.००	७.००	"
प्लॉट नं० ७ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	२६४.३०	११४.३०	६.४०	"
प्लॉट नं० ८ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	३२०.००	१४०.००	१.४०	"
प्लॉट नं० ९ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	४७.००	३२७.००	३.३०	"
प्लॉट नं० १० के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	२२७.३०	६७.३०	३.६०	"
प्लॉट नं० ११ के ख० प्लॉट नं० १०५ के कोने पर है	दंपुं०	३२२.००	१४२.००	२.२५	"
प्लॉट नं० १२ के ख० प्लॉट नं० १०६ के कोने पर है	दंपुं०	३७.००	२१७.००	२.२५	"
प्लॉट नं० १३ के ख० प्लॉट नं० १०६ के कोने पर है	दंपुं०	३१.००	२११.००	३.४०	"
प्लॉट नं० १४ के ख० प्लॉट नं० १०६ के कोने पर है	दंपुं०	१११.००	२६१.००	१.६०	"

१	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११३, ११० व १०६ के कोने पर है	द०पू०पू०	६३.००	२७३.००	१.७५	सीधी लाइन
२	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ११० की मंड़ पर है	उ०पू०पू०	५५.००	२६५.००	१.५०	"
३	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ११० के कोने पर है	द०पू०पू०	१६१.००	२४१.००	१.६५	"
४	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ११० की मंड़ पर है	द०प०द०	२०३.३०	२३.३०	३.४०	"
५	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६, ११० व ३१७ के कोने पर है	द०प०प०	२३१.००	५१.००	१.३०	"
६	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११०, ३१७ के कोने पर है	उ०प०प०	३१२.३०	१३२.३०	२.६०	"
७	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११०, १११ व ३१७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	४३.००	२२३.००	०.४५	"
८	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११० व १११ कोने पर है	उ०प०उ०	३२०.००	१४०.००	२.५०	"
९ से १	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ११०, १११ व ११३ के कोने पर है	उ०पू०उ०	५०.००	२३०.००	२.५५	" चक बन्द हुआ।

ब्लॉक नं० ७

०	सीमांकन कार्य ब्लॉक नं० २ के पिलर नं० ३२ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुद व ग्राम वेदखेड़ी को सीमा पर है	द०पू०पू०	१३१.३०	३११.३०	१.४०	सीधी लाइन
१	ग्राम पावटी खुद व ग्राम वेदखेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१३७.००	३१७.००	१.५०	"
२	"	द०प०द०	१६०.००	१०.००	४.००	"
३	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ६४ व ६८ की मंड़ पर है	"	२०५.३०	२५.३०	७.१०	"
४	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०४ व १०५ की मंड़ पर है	"	१६७.००	१७.००	७.००	"
५	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, ३५५ व ३६० के कोने पर है	उ०प०प०	२६४.३०	११४.३०	६.४०	"
६	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, ३२१ व ३२४ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२०.००	१४०.००	१.४०	"
७	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, ३२१ व ३२० के कोने पर है	उ०पू०पू०	४७.००	३२७.००	३.३०	"
८	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०५, १०६ की मंड़ पर है	उ०प०प०	२२७.३०	६७.३०	३.६०	"
९	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६, ३१६ व ३२० के कोने पर है	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	२.२५	"
१०	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६ व ३१८ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३७.००	२१७.००	२.२५	"
११	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० १०६, १०६ व ३१८ के कोने पर है	"	३१.००	२११.००	३.४०	"
१२	ग्राम पावटी खुद के ख० प्लाट नं० ६३ व १०६ के कोने पर है	द०पू०द०	१११.००	२६१.००	१.५०	"

क्र.	विवरण	प्रकार	मूल्य	अनुमानित मूल्य	अनुपात	टिप्पणी
१३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६३, ६४ व १०६ के कोने पर है	उत्तर	३६०.००	१८०.००	५.००	सीधी लाइन
१४	ग्राम पावटी के खुर्द ख० प्लाट नं० ६३ व ६४ की मेंड पर है	उ०पू०उ०	१५.३०	१६५.३०	३.२०	"
१५	ग्राम पावटी के खुर्द ख० प्लाट नं० ६३ व ६४ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२३.३०	३०३.३०	४.२०	"
१६ से १	"	उ०पू०उ०	२२.००	२०२.००	४.२०	" चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ८

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० ७ पिलर नं० ४ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०४ व १०५ की मेंड पर है	उ०पू०पू०	७०.३०	२५०.३०	८.००	सीधी लाइन
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०४ व १००, ६८ व १०५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	८०.००	२६०.००	३.२०	"
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६८, ६६ व १०० के कोने पर है	द०पू०द०	१५६.००	३३६.००	१.६०	"
३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ६६ व १०० के कोने पर है	द०पू०पू०	१३०.००	३१०.००	२.००	"
४	ग्राम पावटी खुर्द के व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर स्थित है	द०प०द०	२२०.००	४०.००	०.४०	"
५ से १	"	उ०प०प०	२६०.००	११०.००	४.००	" चक बन्द हुआ।

ब्लाक नं० ६

०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० ७ के पिलर नं० ५ से आरम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०५, ३६० व ३५५ के कोने पर है	उ०पू०पू०	७६.००	२५६.००	६.३६	सीधी लाइन
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०४, ३६२, ३६३ व ३६४ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२७.३०	२०७.३०	५.६०	"
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०३, १०४, ३६४ व ३६५ के कोने पर है	द०पू०पू०	११७.००	२६७.००	२.६०	"
३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६५, ३६४, ३६६ व ३६६ के कोने पर है	द०प०प०	२३३.००	५३.००	२.२५	"
४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६४, ३६६ व ३७० के कोने पर है	"	२६८.००	८८.००	१.५०	"
५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६४ व ३७० की मेंड पर है	द०प०द०	१८३.००	३.००	३.००	"
६ से १	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६३, ३६४ व ३७० के कोने पर है	उ०प०प०	२६६.००	११६.३०	३.२५	" चक बन्द हुआ।

	ब्लाक नं० १०			सीधी लाईन	
०	सीमांकन कार्य ब्लाक नं० ७ के पिलर नं० ५ से प्रारम्भ किया जो कि ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० १०५, ३५५ व ३६० के कोने पर है	द०पू०पू०	१२५.००	३०५.००	१२.५०
१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३८३, ३६० व ३६८ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२३.००	३०३.००	२.२५
२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७८, ३८३ व ३६८ के कोने पर है	उ०पू०पू०	५२.००	२३२.००	५.५०
३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७८, ३८०, ३८१ व ३८२ के कोने पर है	द०पू०द०	१५३.००	३३३.००	३.००
४	ग्राम पावटी के ख० प्लाट नं० ३७७, ३७८ व ३७६ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२६.००	३०६.००	२.७५
५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७६, ३७७, ३७८ व ३६८ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२.००	२१२.००	१.७०
६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७५, ३७६ व ३७७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२२.००	१४२.००	२.३०
७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७५, ३७७ व ३७६ के कोने पर है	उ०पू०	४५.००	२२५.००	०.५०
८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७५ व ३७६ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३२५.००	१४५.००	६.७५
९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३७१, ३७४ व ३७५ के कोने पर है	"	३२६.००	१४६.००	३.५०
१०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ३६८, ३७० व ३७१ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३९.००	२१९.००	३.३०
११	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१५५.००	३३५.००	५.७०
१२	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम वेद खेड़ी की सीमा पर है	द०पू०द०	१५५.००	३३५.००	८.००
१३	ग्राम पावटी खुर्द, ग्राम वेद खेड़ी तथा ग्राम तारापुर की सीमा पर है। यही बन्दोबस्ती स्तम्भ है	द०पू०द०	२११.००	३१.००	७.००
१४	ग्राम पावटी खुर्द तथा ग्राम तारापुर की सीमा पर है	"	१९५.००	१५.००	६.६०
१५	ग्राम पावटी खुर्द, ग्राम तारापुर तथा ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है। यही बन्दोबस्ती स्तम्भ है	"	१९०.००	१०.००	५.००
१६	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	"	१९०.००	१०.००	६.००
१७	"	"	२१६.००	३६.००	५.६०
१८	"	द०पू०पू०	२३२.००	५२.००	५.००
१९	"	"	२३२.००	५२.००	६.७०

क्र.	विवरण	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	२.७५	मीमी काइन
२०	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	उ०प०उ०	३२२.००	१४२.००	२.७५	मीमी काइन
२१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ४३०, ५५४ के कोने पर है	द०प०प०	२४९.००	१६.००	०.६०	"
२२	" ख० प्लॉट नं० ४३०, ५४९ व ५५४ के कोने पर है	उ०प०प०	३०१.३०	१२१.३०	३.५०	"
२३	" ख० प्लॉट नं० ५४८, ५४९ की मेंड पर है	उ०प०उ०	३२३.००	१४३.००	८.००	"
२४	" ख० प्लॉट नं० ५४६, ५४७ व ५४८ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२७.००	२०७.००	१.४०	"
२५	" ख० प्लॉट नं० ५३९, ५४६ व ५४८ के कोने पर है	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	१.००	"
२६	" ख० प्लॉट नं० ५३९ व ५४६ के कोने पर है	द०प०द०	२१३.३०	३३.३०	०.७०	"
२७	" ख० प्लॉट नं० ५३६, ५४५ व ५४६ के कोने पर है	उ०प०प०	३०१.००	१२१.००	२.००	"
२८	" ख० प्लॉट नं० ५३९, ५४४ व ५४५ के कोने पर है	उ०प०प०	२९६.००	१६६.००	५.५०	"
२९	" ख० प्लॉट नं० ५३९, ५४० की मेंड पर है	उ०प०प०	३००.००	१२०.००	५.४०	"
३०	" ख० प्लॉट नं० ५३७, ५३८ व ५३९ के कोने पर है	द०प०द०	२०८.००	२८.००	२.५०	"
३१	" ख० प्लॉट नं० ५३७, ५३५ व ५३५ के कोने पर है	द०पू०पू०	११६.३०	२९६.३०	५.५०	"
३२	" ख० प्लॉट नं० ५४१ व ५४२ की मेंड पर है	द०पू०पू०	११६.३०	२९६.३०	५.००	"
३३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५४२, ५४४, ५५० के कोने पर है	द०प०द०	२१४.००	३४.००	३.६०	"
३४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३५, ५४२, ५५० व ५५२ के कोने पर है	द०पू०पू०	११४.३०	२९४.३०	१.३०	"
३५	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५५०, ५५१ व ५५२ के कोने पर है	उ०पू०उ०	३४.३०	२१४.३०	१.४०	"
३६	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५५० व ५५१ के कोने पर है	द०पू०पू०	१२२.३०	३०२.३०	९.००	"
३७	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५४९, ५५२ व ५५३ के कोने पर है	द०प०द०	१९०.००	१०.००	४.००	"
३८	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	२.७५	"
३९	"	द०प०प०	२२६.३०	४६.३०	३.४०	"
४०	"	उ०प०उ०	३३०.००	१५०.००	५.२०	"
४१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३४ व ५५२ की मेंड पर है	उ०प०प०	३०२.३०	१२२.००	४.५०	"
४२	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३४, ५३५ व ५५२ के कोने पर है	द०प०द०	२०३.००	२३.००	४.५०	"
४३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३३ व ५३५ के कोने पर है	द०प०प०	२६६.००	८६.००	७.००	"
४४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लॉट नं० ५३२ व ५३३ के कोने पर है	द०पू०पू०	१३१.००	३११.००	७.७०	"

४५	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बीबीपुर हटिया की सीमा पर है	द०प०प०	२२८.००	४८.००	८.००	सीधी लाइन
४६	"	उ०प०प०	२८०.००	१००.००	५.७०	"
४७	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम हटिया व ग्राम बलावी की सीमा पर है और यही बन्दोबस्ती पत्थर भी है	उ०पू०उ०	२६.००	२०९.००	५.४०	"
४८	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२६, ५२७ व ५३२ के कोने पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	२.२५	"
४९	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२५, ५२६ व ५२७ के कोने पर है	उ०प०प०	२९०.००	११०.००	४.००	"
५०	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनावी की सीमा पर है	उ०प०उ०	३२८.००	१४८.००	३.६०	"
५१	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२३, ५२४ व ५२५ के कोने पर है	उ०प०प०	२८७.३०	१०७.६०	१.४०	"
५२	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनावी की सीमा पर है	उ०प०उ०	३२४.३०	१४४.३०	६.१०	"
५३	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२१ व ५२२ की मेंड पर है	द०प०प०	२६४.००	८४.००	१.८०	"
५४	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५२०, ५२१ व ५२२ के कोने पर है	द०प०द०	१६४.००	१४.००	१.७५	"
५५	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनावी की सीमा पर है	द०प०प०	२५०.३०	७०.३०	१.६०	"
५६	"	उ०प०प०	३०६.००	१२६.००	५.४०	"
५७	"	उ०प०प०	३१२.००	१३२.००	४.००	"
५८	"	उ०प०प०	२६३.००	११३.००	५.५०	"
५९	"	उ०पू०उ०	४४.००	२२४.००	८.५०	"
६०	ग्राम पावटी खुर्द के ख० प्लाट नं० ५०१, ५०२ व ५०५ के कोने पर है	उ०प०उ०	३२४.००	१४४.००	५.२०	"
६१	ग्राम पावटी खुर्द व ग्राम बरनावी की सीमा पर है	उ०पू०पू०	५६.००	२३६.००	३.५०	"
६२	" ख० प्लाट नं० ५०० व ५०१ के कोने पर है	द०पू०पू०	१३०.००	३१०.००	३.००	"
६३	" ख० प्लाट नं० ५०० व ५०१ के कोने पर है	उ०पू०पू०	८३.००	२६३.००	४.००	"
६४	" पावटी खुर्द व ग्राम बरनावी के ख० प्लाट नं० ५००, ५०१, ५०५ व ५०६ के कोने पर है	द०प०द०	१४२.००	३२२.००	४.५०	"
६५	" ख० प्लाट नं० ५०५, ५०७ व ५१७ के कोने पर है	द०पू०पू०	११३.३०	२६३.३०	५.३०	"
६६	" ख० प्लाट नं० ५०७, ५१६, ५१४ व ५१७ के कोने पर है	उ०पू०उ०	१२.००	१६२.००	३.३०	"
६७	" ख० प्लाट नं० ५११, ५१३ व ५१४ के कोने पर है	उ०प०प०	२६७.००	११७.००	१.००	"
६८	" ख० प्लाट नं० ५११, ५१२, ५१३ के कोने पर है	उ०पू०उ०	२३.००	२०३.३०	१.३०	"
६९	" ख० प्लाट नं० ५११, ५१२, ५१६ के कोने पर है	द०पू०पू०	१०४.००	२८४.००	२.००	"

उद्धरण खतीनी

उद्धरण क्रमांक : 110560202511680

शाम क्रमांक : 110560

शाम का नाम (परगना) :

बरनाली (कैराना)

तहसील :

कैराना

जन्मपद :

शामली

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00264


श्रेणी : S-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवना।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
खसरा/गाटा संख्या	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) / अधवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अधवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (यूनीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
198	1) वन विभाग / --- / ---			198(1105600198000053)	0.2710	1) 1/1	0.2710	
कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.2710 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2710) (हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खरिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अधवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अधवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अधवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)		
		198(1105600198000053)		जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	198(1105600198000053)			

(17) भूमि के सन्बन्ध में विचारार्थीन राजस्व वादा/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अधवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



(18.2)बंधक-मुक्त होने की तिथति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1398फ0आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कैराना आदेश दिनांक 22.12.90द्वारा स्टे माननीय न्यायालय हाइकोर्ट इलाहाबाद दिनांक 11-4-88अजमेर पुत्र सरधा सिंह तथा अन्य पैटिशनर बाबत ख0न0480/4-6-12 आदेश खाता 229के अनुसार है अपठित ह0ले.5.2.91

Data Digitally Signed by:ASHOK KUNIMARU(EKHPAL)

दिनांक/समय/स्थान: 19-11-2025 01:47:54 तहसील : कैराना

यह उद्घरण खतानी इलेक्ट्रॉनिक डिजीवली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SURESHPAL SHARMA तहसील : कैराना

मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-11-2025 01:47:54

Not Applicable For Online Pranis उत्पन्न उद्घरण खतानी का वैरीफिकेशन

<https://epubshiloh.gov.in>: Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

1036



उदरपण खतीनी

उदरपण क्रमांक : 110560202511676

ग्राम क्रमांक : 110560
ग्राम का नाम (परगना) : बरनाली (कैराना)तहसील : कैराना
शामली

जनपद : फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

भाग : 1
(1) खाता संख्या : 00264

श्रेणी : 5-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
खसरा/ गाटा संख्या	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा धेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (यूनीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
203	1) वन विभाग / -- / --			203(1105600203000053)	0.4510	1) 1/1	0.4510	
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.4510 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.4510) (हेक्टेयर)								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खरिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा धेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा धेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)		
		203(1105600203000053)			203(1105600203000053)			

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1037

उद्घरण खतौनी

उद्घरण क्रमांक : 110560202511704

ग्राम क्रमांक : 110560
ग्राम का नाम (परगना) : बरनाबी(कैराणा)

तहसील : कैराणा
जनपद : शामली

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)

भाग : 1
(1)खाता संख्या : 00264

श्रेणी : 5-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

खसरा/गाटा संख्या	खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश			
	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व		
204	1) वन विभाग / --- / --- जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			204(1105600204000053)	0.7940	1) 1/1	0.7940			

कुल गाटे-1 कुल क्षेत्रफल- 0.7940 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.7940)(हेक्टेयर)

1039

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
	(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)



204(1105600204000053)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1398फ0आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कैराना आदेश दिनांक 22.12.90द्वारा स्टे माननीय न्यायालय हाइकोर्ट इलाहाबाद दिनांक 11-4-88अजमेर पुत्र सरधा सिंह तथा अन्य धरिशनर बाबत ख0न0480/4-6-12 आदेश खाता 229के अनुसार है अपठित ह0ले.5.2.91

Data Digitally Signed by::ASHOK KUMAR(LEKHPAL)

दिनांक/समयस्थान: 28-11-2025 11:53:19 तहसील : कैराना

यह उदरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिजीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : SURSHIPAL SHARMA तहसील : कैराना

मुद्रित दिनांक एवं समय: 28-11-2025 11:53:19

Not Applicable For Online Prints उदरण खतौनी का वैरीफिकेशन

<https://pnbhubsbl.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

1040



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 110560202511673

ग्राम क्रमांक : ग्राम का नाम (परगना) :
110560 बरनावी(कैराना)

तहसील :
कैराना

जनपद :
शामली

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून,
2025)

भाग :
1

(1) खाता संख्या :
00264

श्रेणी : S-3-क / कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
205	1) वन विभाग / -- / --			205(1105600205000053)	0.5020	1) 1/1	1) 0.5020	
कुल गाटे-1	कुल क्षेत्रफल-0.5020 (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.5020)(हेक्टेयर)					

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

(10)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

खारिज किया गया

(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड

(13) क्षेत्रफल (हे.)

दर्ज किया गया

(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड

(16) क्षेत्रफल (हे.)



205(1105600205000053)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धन राशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनसाहि/आलेख संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेश का विवरण

1) 1398क0आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कैराना आदेश दिनांक 22.12.90द्वारा स्टे.माननीय न्यायालय हाइकोर्ट इलाहाबाद दिनांक 11-4-88अजमेर पुत्र सरधा सिंह तथा अन्य संशिक्षन बाबत ख0न0480/4-6-12 आदेश खाता 229के अनुसार है अपठित ह0ने.5.2.91

Data Digitally Signed by: ASHOK KUMAR(LKHPAL) दिनांक/समय/स्थान: 19-11-2025 01:45:59 तराईव : कैराना यह उदरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा बाद डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : SURESHPAL SHARMA तराईव : कैराना मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-11-2025 01:45:59 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उदरण खतीनी का केशिकेशन https://apnibalekh.gov.in Website पर जाकर अदरद QR Code Scan करके किया जा सकता है।	
--	--	--

1042



1043

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना रेंज शामली।

कैराना दिनांक 04/10/25

पत्रांक

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

मैनपाल कुमर खटीयाना निवासी
बखारी घाटा कैराना
क्षेत्रीय कैराना जिला शामली।

जयपुराधिकार के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बखारी-
तहसील कैराना जमण्ड शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या 203
में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर
अतिक्रमण कर भवन निर्माण कोड भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की
धारा 63 के अर्न्तगत सखीय दण्डनीय अपराध है।
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण
किया गया है, जहां स्थल के अभिलेखी सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:30 बजे मेरे
कार्यालय में (पता - पुल छोड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट
करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
आपका दिनांक 04/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे सांय उक्त नोटिस मेरे
कार्यालय मोहरा में जयपुराधिकार से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

91
मैनपाल

7500977094

608044

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

सेवा में

श्रीमच्छंद पुत्रा प्रकाश मिश्रा
वरमाती ग्राम कैराना
तहसील कैराना जिला शामली

अध्याहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम वरमाती तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खरारा संख्या 223 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 12/06/25 को समय 11:00 AM बजे मेरे कार्यालय में (पता - पुल खंडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी रिश्ति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अपने दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 AM बजे राय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं प्रकाश से जारी किया गया है।




श्रीराजेश कुमार
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

श्रीमच्छंद

9756344569

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना रेंज शामली।

पत्रांक

कैराना दिनांक 25/10/25

1045

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

वेक में

सौ नू पुत्र कर्जीत निवासी
बरनाठी शाना कैराना
तह कैराना जिला शामली

असाहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम बरनाठी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 205 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 25/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 10:30 बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

शौ नू

7657887618

1046
कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पत्रांक /

कैराना दिनांक 26/10/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

लेख में

जेफ़ेदीन हुजा उज्जीजान हीठ
तहसील कैराना जिला शामली

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~कैराना~~ तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 118 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत करना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोड़ भी गैर दानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 26/10/25 को समय 11:00 बजे के कार्यालय में (पता- पुल खंडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजिकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी

आज दिनांक 26/10/25 को समय लगभग 11:30 बजे साथ उक्त नोटिस के कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली।

पता

कैराना, दिनांक 06/10/25

नोटिस

(अन्तर्गत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

उक्त में

हनुमन्त खेड़ी पुल, त्रिपाकत, निवासी
कैराना, शामली
उक्त कैराना, जिला शामली

अधोहरताक्षरी के संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम करनाड़ी तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित 30प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 305 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अगिलेखों सहित दिनांक 11/10/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक 06/10/25 को समय लगभग 11:00 बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हरताक्षर से जारी किया गया है।



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

इकेएम अमी

1048
601

राज्य वन अधिकारी, कैराना रेंज शामिल।

कैराना दिनांक 29/08/25

नोटिस

(अर्न्तगत भा0व0अधि0 1927 की धारा 72 (1) B)

शुक्रेश्वर शिव ठाकुर देवी मि०
वस्ती नरसैल कैराना
शामली

अद्यावत तक के संज्ञान में आया है कि आपको द्वारा ग्राम वस्ती नरसैल शामिल कैराना जनपद शामिल में स्थित उ0प्र0 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 204 में अवैध रूप से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत करना है कि वन भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण/कोई भी गैर वानिकी कार्य किया जाना भा0व0अधि0 1927 की धारा 63 के अर्न्तगत सख्त दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 03/09/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खेड़ी पुल, शामिल) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक _____ को समय लगभग _____ बजे साथ उक्त नोटिस मेरे कार्यालय मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

INDRAI MADDI 90 24774
REG. NO: 49664902N, ITR No: 1906266886
02-09-2025 14:07:09, Count: 1
To: APSAR
FROM: VAN VIGNAS
KATRANA, SHAMLI, 24774
Date Recd: 02.09
To: APSAR
P. Mode: Cash
POD No. www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

60849

दोत्रीय वन अधिकारी, कैराना रेंज शामली

दिनांक 29/08/25

नोटिस

अनुच्छेद 1927 की धारा 72 (1) B

साक्षि कुल जिकरा
श्री. बरमावी नरेंद्रप्रसा
शामली

अध्याहस्ताक्षरी के सन्धान में आया है कि आपके द्वारा ग्राम ~~बनवाडी~~ नहरौल कैराना जन्मपट्ट शामली में स्थित 2090 वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 304 में अर्द्ध मय से भवन निर्माण किया गया है, आपको अवगत कराना है कि वन भूमि पर अतिक्रमण का भवन निर्माण/कोर्ड भी गैर दानिकी कार्य किया जाना भा0ब0अधि0 1927 की धारा 82 के अन्तर्गत सज्जेय दण्डनीय अपराध है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थल पर आपके द्वारा भवन निर्माण किया गया है, उक्त स्थल के अभिलेखों सहित दिनांक 09/09/25 को समय 11:00 बजे मेरे कार्यालय में (पता- पुल खंडी पुल, शामली) साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपनी रिश्ति स्पष्ट कर, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आज दिनांक को समय लगभग बजे सांय उक्त नोटिस मेरे कार्यालय में हस्तक्षर से जारी किया गया है।

Shamli Mandi 90 247716
BL 8045060296IM, IPR No: 18902666660
02-09-2025 14:06:37, Country
TO: SAKSHI
BARMAVI, SHAMLI, 247774
FROM: VAN VIBHAG
KATRANA, SHAMLI, 247774
Date and Time: 12:00
Via: AIRTEL
P Mode: Cash
FDD No: www.indiapost.gov.in



(राजेश कुमार)
दोत्रीय वनाधिकारी
कैराना रेंज
शामली

साक्षि

श्रीमान् एम. ए. ए. ए.
अपद शिवाजी

महोदय
हमारे ग्राम में विना हाट अतिउमर
के नाम पर एक अतिपात्र चलाया जा रहा है
जिससे हम अपने चर्च पर पुत्रों का भाव
है एक आशावादी है कि हम भी नोडिफिकेशन
होगा।

अब परभारा में कुछ भी आपात के
को अगले प्रदान करें। (अभी एम. ए.)
हम Notice वाला नहीं हुआ है।

धन्यवाद प्रिय

7/1/2026

राजू ए/० प्रकाशी
कि अगली

डॉ. रामचंद्र (गो. ई.)
मामचंद्र

सेवा में, श्रीमान् ३/१० १७/६६
 जगद साधना-

महोदय - हमारे शास्त्र में वन विनाश
 डाल एक अधिपति चलाया जा रहा है
 हमारे पत्रों/लिपियों को Notice आ रही है।
 मैं पत्रिका पुरानी आकाश है।
 मुझे आशा है कि इसे भी Notice प्राप्त

होगी।
 कृपया प्रचारणा में मेरी आपत्ति
 दर्ज करने का कष्ट करें।

धन्यवाद ५/१०

२/१/२६

मेहराज ३/० टकीरु

१० कलावी (साधना)

१० क मेहराज



वन विभाग 3030 परिधि (सर्किल) शाहपुरा खंड (डिवीजन) शामली

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 1927 की धारा 26 के 63(3) दिनांक 31/08/2025 (अधिशेत्र रेंक)

1052

बुक सं० 10

रेंज का सं० 18/2025-26

क्रम सं० 05

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :- श्री 510 वलजीता (2) हाकम काली 510 लिमाकत (3) मुस्तकीम 510 असरफ (4) लिमाकत 510 असरफ (5) महताब 510 असरफ (6) राजीव 510 राजेश (7) सलीम 510 अरहमन (8) कालिम 510 मीर (9) उममान 510 इनालाम निवासी बरनाबी तों कराना जिला

1- साक्षी का नाम पता :- (1) श्री विजेन्द्र सिंह बरनाबी (2) अशोक कुमार मुनताम बरनाबी (3) हाकम काली दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- उक्त अभियुक्तों द्वारा बरनाबी वन ब्लॉक के खसरा नं० 205 जो धारा 26 के अंतर्गत है में कानून विरोधी कार्य प्रारंभ किया गया।

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :- विभागीय कार्यवाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- महापप

साक्षी निवेदन कर बताया करता है कि मा० नं० 205 का खसरा नं० 01520 है जो धारा 26 के अंतर्गत है। उक्त अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत दण्डनीय कार्य है। उक्त कार्यवाही कराने के लिए प्रसूचना रिपोर्ट श्री मान जी की सेवा में आदेश कार्यवाही

हस्ताक्षर

प्र० व० म० महापप

वन उपजम्मे की मूल प्रकृत की सूचना के अंतर्गत शासनाधीन क्षेत्रों के माध्यम से जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना रेंज (शामली)

अवधी प्रियंका (विपिन कुमार वरनाबी के प्रभारी बरनाबी)

वन विभाग 30 प्र परिधि (सर्किल) सरावलीपुर खण्ड (डिवीजन) 27/1/25

अन्य अपराध भारतीय कानून अधिनियम प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 1053 दिनांक 05/09/25 (अधिक्षेत्र रेंक) 1927 की धारा 269 63A

बुक सं 10 R.C. No- 25/2025-26 क्रम सं 12

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
(1) नफेदीन शिबु अली ठाकुर
(2) इमरान शिबु उल्फत
(3) बाजिंद शिबु भासनि
(4) शफीक शिबु मुमताज
आदि अज्ञात व्यक्ति को डार
निवासी गढा - 27/1 - 92-1/की
राहमल्ला - पुराना
पिता - शिबु अली

1- साक्षी का नाम पता :-
(1) श्री आशोक कुमार - मुमताज के तम फर
(2) श्री हसन बेनिक शुभिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :-
दिनांक :-
बरनाली वन ब्लॉक के खसरा नं 198 पर सर्वेक्षण
कालि शुभिक कर पकका मिश्रण कार्य कर मकान बनाना

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) का पूरा विवरण :-
विमर्शीय कार्य बाही

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :-
महोदय,

सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि मां
मामला सं नं 07/0 सी नई दिल्ली में दापर वाप संख्या 915 सं/2025 के सम्बन्ध
में वाजिसव विभाग के हल्का लेखपाल श्री प्रफला चौहान व विमर्शीय सर्वेक्षक श्री
विजय सिंह द्वारा बरनाली वन ब्लॉक के खसरा नं 198 का संयुक्त सर्वे / पैमाईश
कार्य को श्री प्रमो उमता शर्मिष्ठा के द्वारा खसरा नं 198 पर संख्या 012710 है
में से 012710 है वन भूमि पर लागू 20 वर्ष पूर्व पकका मिश्रण कर कालि शुभिक
कर वकका है।

उमता शर्मिष्ठा का यह हल्का भारतीय कानून अधिनियम 1927 की
धारा 26 व 63A के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। कर्मि कार्य बाही जारी है।
प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट अधिनियम की सेवा में आवेदन कार्य बाही है ए

प्रेषित है
सं 0 व 0 30
महोदय

वन अपराध की प्रथम सूचना प्रति
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
सादर प्रेषित है।

नवदीप
विधि नंबर
(विधि नंबर 02/2025)
जिला प्रमुख बरनाली

क्षेत्रीय वन अधिकारी
केराना रेंज (शामली)

वन विभाग 3080 परिधि (सर्किल) सहारापुर खामन (डिवीजन) शामली

1055

अन्य अपराध भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 26 व 63 ग प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 31/08/25 (अधिक्षेत्र रेंक)

बुक सं० 10

क्रम सं० 04

रेंज केस सं० - 17/25-26

1- नाम, पिता का नाम व पूरा पता सहित :-
1. तासिम पुत्र जफरा 2. हासिम पुत्र जफरा 3. शोकिन पुत्र बुल्ला 4. शोहीन पुत्र जुहर 5. शिवकुमार पुत्र किशन 6. सुशील पुत्र सहीराम 7. राम किशन पुत्र उमारा 8. मैनपाल पुत्र सहीराम 9. ताराचंद पुत्र पीरची 10. रामचंद पुत्र प्रकाश 11. सोनू पुत्र नौमपाल 12. वासिल पुत्र अय्युब 13. रिपाज पुत्र इकिमु निवासी जण बरनावी त० कैराना जिला शामली

1- साक्षी का नाम पता :- श्री बिजेन्द्र सिंह स्वैयर

2. धारन अली दैनिक श्रमिक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण :- श्री अशोक कुमार न्यूनतम दैनिक श्रमिक

दिनांक :-

उक्त अभियुक्तों द्वारा बरनावी वन ब्लॉक के खसरा न०-203 जो धारा 4 की भूमि है पर अतिक्रमण कर फसल निमाण करता

4- मूल्य :-

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) विभागीय कार्यवाही का पूरा विवरण :-

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रभाग आदि का उल्लेख :- मद्दोदय

सादर निवेदन कर उल्लेख कराना है की मा० न्यायलय एन०पी०टी० नई दिल्ली में दायर वाद सं०-315/L/2024 के सम्बन्ध में आज दिनांक 28/08/25 को राजस्व विभाग के वन विभाग ब्लॉक लेखपाल श्री पंकज चौहान व विभागीय स्वैयर श्री बिजेन्द्र सिंह द्वारा बरनावी वन ब्लॉक के खसरा न०-203 का समुक्त सर्वे पैमाशा कराई गई तो सर्वे के दौरान पाया गया की उक्त अभियुक्तों के द्वारा खसरा न०-203 कुल क्षेत्र 0.4510 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 20 वर्ष पूर्व से फसल निमाण कर अतिक्रमण कर रहा है।

उक्त अभियुक्तों का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा 26 व 63 ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभीय कार्यवाही जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सौचित है।

प्र० व० अ०

मद्दोदय

वन अपराध की प्रणत मूल जित प्रसूचना के अंतर्गत कार्यवाही मादर डेपिट है।

भवदीय
विपिन कुमार
(विपिन कुमार के०२०)
कॉन्स्टेबल बरनावी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कैराना रेंज (शामली)

PETITIONER:
T.N. GODAVARMAN THIRUMULKPAD

1056
ANNEXURE 5

Vs.

RESPONDENT:
UNION OF INDIA & ORS.

DATE OF JUDGMENT: 12/12/1996

BENCH:
J.S. VERMA, B.N. KIRPAL

ACT:

HEADNOTE:

JUDGMENT:

(With W.P.(Civil) No. 171/96)

O R D E R

In view of the great significance of the points involved in these matters, relating to the protection and conservation of the forests throughout the country, it was considered necessary that the Central Government as well as the Governments of all the States are heard. Accordingly, notice was issued to all of them. We have heard the learned Attorney General for the Union of India, learned counsel appearing for the States and the parties/applicants and, in addition, the learned Amicus Curiae, Shri H.N. Salve, assisted by Sarvashri U. U. Lalit, Mahender Das and P.K. Manohar. After hearing all the learned counsel, who have rendered very able assistance to the court, we have formed the opinion that the matters require a further indepth hearing to examine all the aspects relating to the National Forest Policy. For this purpose, several points which emerged during the course of the hearing require further study by the learned counsel and, therefore, we defer the continuation of this hearing for some time to enable the learned counsel to further study these points.

However, we are of the opinion that certain interim directions are necessary at this stage in respect of some aspects. We have heard the learned Attorney General and the other learned counsel on these aspects.

It has emerged at the hearing, that there is a misconception in certain quarters about the true scope of the Forest Conservation Act, 1980 (for short the 'Act') and the meaning of the word "forest" used therein. There is also a resulting misconception about the need of prior approval of the Central Government, as required by Section 2 of the Act, in respect of certain activities in the forest area which are more often of a commercial nature. It is necessary to clarify that position.

The Forest Conservation Act, 1980 was enacted with a view to check further deforestation which ultimately results in ecological imbalance; and therefore, the provisions made therein for the conservation of forests and fore matters connected therewith, must apply to all forests irrespective of the nature of ownership or classification thereof. The

1057

word "forest: must be understood according to its dictionary meaning. This description cover all statutorily recognised forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section 2(i) of the Forest Conservation Act. The term "forest land", occurring in Section 2, will not only include "forest" as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record irrespective of the ownership. This is how it has to be understood for the purpose of Section 2 of the Act. The provisions enacted in the Forest Conservation Act, 1980 for the conservation of forests and the matters connected therewith must apply clearly to all forests so understood irrespective of the ownership or classification thereof. This aspect has been made abundantly clear in the decisions of this Court in *Ambica Quarry Works and ors. versus State of Gujarat and ors.* (1987 (1) SCC 213), *Rura' Litigation and Entitlement Kendra versus State of U.P.* (1989 Suppl. (1) SCC 504), and recently in the order dated 29th November, 1996 in *W.P.(C) No.749/95 (Supreme Court Monitoring Committee vs. Mussorie Dehradun Development Authority and ors.)*. The earlier decision of this Court in *State of Bihar Vs. BanshiRam Modi and ors.* (1985 (3) SCC 643) has, therefore, to be understood in the light of these subsequent decisions. We consider it necessary to reiterate this settled position emerging from the decisions of this court to dispel the doubt, if any, in the perception of any State Government or authority. This has become necessary also because of the stand taken on behalf of the State of Rajasthan, even at this late stage, relating to permissions granted for mining in such area which is clearly contrary to the decisions of this court. It is reasonable to assume that any State Government which has failed to appreciate the correct position in law so far, will forthwith correct its stance and take the necessary remedial measures without any further delay.

We further direct as under:-

I. General:

1. In view of the meaning of the word "forest" in the Act, it is obvious that prior approval of the Central Government is required for any non-forest activity within the area of any "forest". In accordance with Section 2 of the Act, all on-going activity within any forest in any State throughout the country, without the prior approval of the Central Government, must cease forthwith. It is, therefore, clear that the running of saw mills of any kind including veneer or ply-wood mills, and mining of any mineral are non-forest purposes and are, therefore, not permissible without prior approval of the Central Government. Accordingly, any such activity is prima facie violation of the provisions of the Forest Conservation Act, 1980. Every State Government must promptly ensure total cessation of all such activities forthwith.

2. In addition to the above, in the tropical wet ever-green forests of Tirap and Changlang in the State of Arunachal Pradesh, there would be a complete ban on felling of any kind of trees therein because of their particular significance to maintain ecological balance needed to preserve bio-diversity. All saw mills, veneer mills and ply-wood mills in Tirap and Changlang in Arunachal Pradesh and within a distance of 100 Kms. from its border, in Assam, should also be closed immediately. The State Governments of Arunachal Pradesh and Assam must ensure compliance of this direction.

3. The felling of trees in all forests is to remain suspended except in accordance with the Working Plans of the

1058

State Governments, as approved by the Central Government. In the absence of any Working Plan in any particular State, such as Arunachal Pradesh, where the permit system exists, the felling under the permits can be done only by the Forest Department of the State Government or the State Forest Corporation.

4. There shall be a complete ban on the movement of cut trees and timber from any of the seven North-Eastern States to any other State of the country either by rail, road or water-ways. The Indian Railways and the State Governments are directed to take all measures necessary to ensure strict compliance of this direction. This ban will not apply to the movement of certified timber required for defence or other Government purpose. This ban will also not affect felling in any private plantation comprising of trees planted in any area which is not a forest.

5. Each State Government should constitute within one month an Expert Committee to:

(i) Identify areas which are "forests", irrespective of whether they are so notified, recognised or classified under any law, and irrespective of the ownership of the land of such forest;

(ii) identify areas which were earlier forests but stand degraded, denuded or cleared; and

(iii) identify areas covered by plantation trees belonging to the Government and those belonging to private persons.

6. Each State Government should within two months, file a report regarding:-

(i) the number of saw mills, veneer and plywood mills actually operating within the State, with particulars of their real ownership;

(ii) the licensed and actual capacity of these mills for stock and sawing;

(iii) their proximity to the nearest forest;

(iv) their source of timber.

7. Each State Government should constitute within one month, an Expert Committee to assess:

(i) the sustainable capacity of the forests of the State qua saw mills and timber based industry;

(ii) the number of existing saw mills which can safely be sustained in the State;

(iii) the optimum distance from the forest, qua that State, at which the saw mill should be located.

8. The Expert Committees so constituted should be requested to give its report within one month of being constituted.

9. Each State Government would constitute a Committee comprising of the Principal Chief Conservator of Forests and another Senior Officer to oversee the compliance of this order and file status reports.

II. FOR THE STATE OF JAMMU & KASHMIR:

1. There will be no felling of trees permitted in any

1059

"forest", public or private. This ban will not affect felling in any private plantations comprising of trees planted by private persons or the Social Forestry Department of the State of Jammu & Kashmir and in such plantations, felling will be strictly in accordance with law.

2. In 'forests', the State Government may either departmentally or through the State Forest Corporation remove fallen trees or fell and remove diseased or dry standing timber, and that only from areas other than those notified under the Jammu & Kashmir Wild Life Protection Act, 1978 or any other law banning such felling or removal of trees.

3. For this purpose, the State Government will constitute an Expert Committee comprising of a representative being an IFS Officer posted in the State of Jammu & Kashmir, a representative of the State Government, and two private experts of eminence and the Managing Director of the State Forest Corporation (as Member Secretary) who will fix the qualitative and quantitative norms for the felling of fallen trees, diseased and dry standing trees. The State shall ensure that the trees so felled and removed by it are strictly in accordance with these norms.

4. Any felling of trees in forest or otherwise or any clearance of land for execution of projects, shall be in strict compliance with the Jammu & Kashmir Forest Conservation Act, 1990 and any other laws applying thereto. However, any trees so felled, and the disposal of such trees shall be done exclusively by the State Forest Corporation and no private agency will be permitted to deal with this aspect. This direction will also cover the submerged areas of the THEIN Dam.

5. All timber obtained, as aforesaid or otherwise, shall be utilised within the State, preferably to meet the timber and fuel wood requirements of the local people, the Government and other local institutions.

6. The movement of trees or timber (sawn or otherwise) from the State shall, for the present, stand suspended, except for the use of DGS & D, Railways and Defence. Any such movement for such use will -

- a) be effected after due certification, consignment-wise made by the Managing Director of the State Corporation which will include certification that the timber has come from State Forest Corporation sources; and
- b) be undertaken by either the Corporation itself, the Jammu & Kashmir Forest Department or the receiving agency.

7. The State of Jammu & Kashmir will file, preferably within one month from today, a detailed affidavit specifying the quantity of timber held by private persons purchased from State Forest Corporation Depots for transport outside the State (other than for consumption by the DGS & D, Railways and Defence). Further directions in this regard may be considered after the affidavit is filed.

8. No saw mill, veneer or plywood mill would be permitted to operate in this State at a distance of less than 8 Kms. from the boundary of any demarcated forest areas. Any existing mill falling in this belt should be relocated forthwith.

III. FOR THE STATE OF HIMACHAL PRADESH AND THE HILL REGIONS OF THE STATES OF UTTAR PRADESH AND WEST BENGAL:

1. There will be no felling of trees permitted in any

1060

forest, public or private. This ban will not affect felling in any private plantation comprising of trees planted in any area which is not a 'forest'; and which has not been converted from an earlier "forest". This ban will not apply to permits granted to the right holders for their bonafide personal use in Himachal Pradesh.

2. In a 'forest', the State Government may either departmentally or through the State Forest Corporation remove fallen trees or fell and remove diseased or dry standing timber from areas other than those notified under Section 18 or Section 35 of the Wild Life Protection Act, 1972 or any other Act banning such felling or removal of trees.

3. For this purpose, the State Government is to constitute an expert Committee comprising a representative from MOEF, a representative of the State Government, two private experts of eminence and the MD of the State Forest Corporation (as Member Secretary), who will fix the qualitative and quantitative norms for the felling of fallen trees and diseased and standing timber. The State shall ensure that the trees so felled and removed are in accordance with these norms.

4. Felling of trees in any forest or any clearance of forest land in execution of projects shall be in strict conformity with the Forest Conservation Act, 1980 and any other laws applying thereto. Moreover, any trees so felled, and the disposal of such trees shall be done exclusively by the State Forest Corporation and no private agency is to be involved in any aspect thereof.

IV. FOR THE STATE OF TAMIL NADU:

1. There will be a complete ban on felling of trees in all forest areas'. This will however not apply to:-

- (a) trees which have been planted and grown, and are not of spontaneous growth, and
- (b) are in areas which were not forests earlier, but were cleared for any reason.

2. The State Government, within four weeks from today, is to constitute a committee for identifying all "forests".

3. Those tribals who are part of the social forestry programme in respect of patta lands, other than forests, may continue to grow and cut according to the Government Scheme provided that they grow and cut trees in accordance with the law applicable.

4. In so far as the plantations (tea, coffee, cardamom etc.) are concerned, it is directed as under:

- a) The felling of shade trees in these plantations will be -
 - i) limited to trees which have been planted, and not those which have grown spontaneously;
 - ii) limited to the species identified in the TANTEA report;
 - iii) in accordance with the recommendations of (including to the extent recommended by) TANTEA; and
 - iv) under the supervision of the statutory committee constituted by the State Government.

b) In so far as the fuel trees planted by the plantations for fuel wood outside the forest area are concerned, the State Government is directed to obtain within four weeks, a report from TANTEA as was done in the case of Shade trees,

1061
and the further action for felling them will be as per that report. Meanwhile, eucalyptus and wattle trees in such area may be felled by them for their own use as permitted by the statutory committee.

c) the State Government is directed to ascertain and identify those areas of the plantation which are a "forest" and are not in active use as a plantation. No felling of any trees is however to be permitted in these areas, and sub-
paras (b) and (c) above will not apply to such areas.

d) There will be no further expansion of the plantations in a manner so as to involve encroachment upon (by way of clearing or otherwise) of "forests".

5. As far as the trees already cut, prior to the interim order of this court dated December 11, 1995 are concerned, the same may be permitted to be removed provided they were not so felled from Janmam land. The State Government would verify these trees and mark them suitably to ensure that this order is duly complied with. For the present, this is being permitted as a one time measure.

6. Insofar as felling of any trees in Janmam lands is concerned (whether in plantations or otherwise), the ban on felling will operate subject to any order made in the Civil Appeal Nos. 367 to 375 of 1977 in C.A. Nos. 1344-45 of 1976. After the order is made in those Civil Appeals on the I.As. pending therein, if necessary, this aspect may be re-examined.

7. This order is to operate and to be implemented, notwithstanding any order at variance, made or which may be made by any Government or any authority, tribunal or court, including the High Court.

The earlier orders made in these matters shall be read, modified wherever necessary to this extent. This order is to continue, until further orders. This order will operate and be complied with by all concerned, notwithstanding any order at variance, made or which may be made hereafter, by any authority, including the Central or any State Government or any court (including High Court) or Tribunal.

We also direct that notwithstanding the closure of any saw mills or other wood-based industry pursuant to this order, the workers employed in such units will continue to be paid their full emoluments due and shall not be retrenched or removed from service for this reason.

We are informed that the Railway authorities are still using wooden sleepers for laying tracks. The Ministry of Railways will file an affidavit giving full particulars in this regard including the extent of wood consumed by them, the source of supply of wood, and the steps taken by them to find alternatives to the use of wood.

I.A. Nos. 7,9,10,11,12,13 and 14 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and I.A. Nos. 1,3,4,5,6,7,8 & 10 in Writ Petition (Civil) No. 171 of 1996 are disposed of, accordingly.

List the matter on February 25, 1997 as part-heard for further hearing.